



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236211
CG-DL-E-01062022-236211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2381]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944

No. 2381]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISHTHA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

का.आ. 2508(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2234(अ), तारीख 9 जून 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विज़िअनगरम जिले में NH-130CD के कि.मी. 363.32 (ऑडरंगी) से कि.मी. 463.465 (सब्वरम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट और परवतीपुरम भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20 जून 2021" को "प्रजा सक्ती" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के विज़िअनगरम और परवतीपुरम जिले में NH-130CD के कि.मी. 363.32 से कि.मी. 463.465 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: विज़िअनगरम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गजपतिनगरम				
	गांव का नाम: चितयबालसा				
1	9	सरकारी	टैंक	0.441117	कोठा चेरुवु ([object Object])
	तालुक का नाम: पचिपेंट				
	गांव का नाम: केसालि				
1	64/5	निजी	शुष्क	0.0202347	रकोटी पर्वतम्मा डबल्यू/ओ लेयट संन्यासी (64-5बी)
2	65	निजी	शुष्क	0.2873331	इज़्ज़ादा तिरुपति रौ एँस्/ओ लेयट सिंहचलम (65-2)
	गांव का नाम: कोटिकिपेटा				
3	171/1	अन्य	शुष्क	0.7041684	मैरी सन्तम्मा डबल्यू/ओ रामाराव, लोलुगु रूपवती डबल्यू/ओ नरसिंगाराव, कुनुकु सरैष् एँस्/ओ चैना वेंकती (171-1ए)
4	172/1	अन्य	शुष्क	0.1335492	कुनुकु आनंदराव एँस्/ओ सत्यम, कुनुकु चैना वेंकती, नारायणराव, तिरुपतहिराव एँस्/ओ सत्यम, नारायणम्मा एँस्/ओ सत्यम (172-1बी)
5	191/3	निजी	शुष्क	0.0121408	सुदी नरसिंगाराव एँस्/ओ रामाराव (191-3सी1)
6	192/1	निजी	शुष्क	0.6353703	कुनुकु आनंदराव एँस्/ओ सत्यम, कुनुकु सूर्यनारायण एँस्/ओ सत्यम, कुनुकु नारायणम्मा डबल्यू/ओ सत्यम, कुनुकु महेश्वराओं एँस्/ओ सत्यम (192-1बी)

7	192/10	निजी	शुष्क	0.3318495	कुनुकु पार्वती डबल्यू/ओ रामकृष्ण (192-10)
8	192/2	निजी	शुष्क	0.072845	सलादी वसन्तराव ऍस्/ओ लेय्ट रामलु (192-2बी)
9	192/5	निजी	शुष्क	0.1295022	रकोटी आदिलक्ष्मी डबल्यू/ओ वेंकन्ना (192-5बी)
10	192/6	निजी	शुष्क	0.072845	कुनुकु सूर्यनारायण ऍस्/ओ सत्यम (192-6)
11	192/7	निजी	शुष्क	0.072845	कुनुकु सूर्यनारायण (192-7)
12	192/8	निजी	शुष्क	0.1537839	अकुल नुकम्मा डबल्यू/ओ राममूर्ति (192-8)
13	192/9	निजी	शुष्क	0.0849858	कुनुकु सूर्यनारायण (192-9)
14	193	निजी	शुष्क	1.6268717	मैरी अप्पलनैदु ऍस्/ओ नारायण, मैरी महेश्वरराव ऍस्/ओ नारायण ऐट्सैटर... (193-1,2,3ए)
15	194/11	निजी	शुष्क	0.4046945	सलादी बाघ्य लक्ष्मी डबल्यू/ओ नारायण, सलादी महेश्वरराव ऍस्/ओ नारायण (194-11सी)
16	195/1	निजी	शुष्क	0.0161878	मैरी सन्तम्मा डबल्यू/ओ रामाराव (195-1सी)
17	195/2	निजी	शुष्क	0.2792392	अकुल सिंहचलम, माडला तिरुपथम्मा डबल्यू/ओ सत्यनारायण (195-2सी)
18	195/3	निजी	शुष्क	0.0242817	मैरी सन्तम्मा (195-3सी)
			कुल	5.5038448	

[फा. सं. NHAI/PIU-VSP/ODR-SBVRM/3a/2019-20/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2022

S.O. 2508(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.No. 2234(E) dated 09.06.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building

(widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH130CD on the stretch of land from Km. 363.32 to Km. 463.465 (Ondrangi to Sabbavaram) in the district of VIZIANAGARAM and PARAVATHIPURAM in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajā Sakti” and “Times of India” both dated 20.06.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH130CD in the stretch of land from Km. 363.32 to Km. 463.465 in the district of VIZIANAGARAM and PARAVATHIPURAM in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: VIZIANAGARAM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Gajapathinagaram				
	Village: Chittayyavalasa				
1	9	Government	Tank	0.441117	Kotha Cheruvu 9-1
	Taluk: Pachipenta				
	Village: Kesali				
1	64/5	Private	Dry	0.0202347	Rakoti Parvathamma w/o late Sanysi 64-5B
2	65	Private	Dry	0.2873331	Izzada Tirupathi Rao s/o late Simhachalam 65-2
	Village: Kotikipenta				
3	171/1	Common	Dry	0.7041684	Marri Santhamma w/o Ramarao, Lolugu Rupavathi w/o Narsingarao, Kunuku Suresh s/o China Venkati 171-1A
4	172/1	Common	Dry	0.1335492	Kunuku Anandrao s/o Sathyam, Kunuku China Venkati, Narayanarao, Tirupatahirao s/o Sathyam, Narayanamma s/o Sathyam 172-1B

5	191/3	Private	Dry	0.0121408	Sudi Narsingarao s/o Ramarao 191-3C1
6	192/1	Private	Dry	0.6353703	Kunuku Anandrao s/o Sathyam, Kunuku Suryanarayana s/o Sathyam, Kunuku Narayanamma w/o Sathyam, Kunuku Maheswarao s/o Sathyam 192-1B
7	192/10	Private	Dry	0.3318495	Kunuku Parvathi w/o Ramakrishna 192-10
8	192/2	Private	Dry	0.072845	Saladi Vasantharao s/o Late Ramulu 192-2B
9	192/5	Private	Dry	0.1295022	Rakoti Adilakshmi w/o Venkanna 192-5B
10	192/6	Private	Dry	0.072845	Kunuku Suryanarayana s/o Sathyam 192-6
11	192/7	Private	Dry	0.072845	Kunuku Suryanarayana 192-7
12	192/8	Private	Dry	0.1537839	Akula Nukamma w/o Rammuyrthy 192-8
13	192/9	Private	Dry	0.0849858	Kunuku Suryanarayana 192-9
14	193	Private	Dry	1.6268717	Marri Appalanaidu s/o Narayana, Marri Maheswararao s/o Narayana etc... 193-1,2,3A
15	194/11	Private	Dry	0.4046945	Saladi Baghya lakshmi w/o Narayana, Saladi Meheswararao s/o Narayana 194-11C
16	195/1	Private	Dry	0.0161878	Marri Santhamma w/o Ramarao 195-1C
17	195/2	Private	Dry	0.2792392	Akula Simhachalam, Mandala Tirupathamma w/o Sathyanarayana 195-2C
18	195/3	Private	Dry	0.0242817	Marri Santhamma 195-3C
			TOTAL	5.5038448	

[F. No. NHAI/PIU-VSP/ODR-SBVRM/3a/2019-20/3D]

RAJESH GUPTA, Director